तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14.10.20	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 23.11.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
23.11.20	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित। मूल प्रार्थना पत्र धारा 251 ए की बहस सुनी गई। पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 21.12.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
21.12.20	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A R.T.Act को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नतीजा शुमार दर्ज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

पत्रावली ... को प्रस्तुत हो। 226

सेवामें,

श्रीमान उ...

प्रार्थी :–

तुलछाराम पुत्र...

निवासी बामणि...

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जोगाराम पु...

तहसील खीं...

2. शाखा प्रबंध...

3. तहसीलदार...

प्रार्थना...

श्रीमानजी,

प्रार्थ...

मारे खेत की उतरी माठ पर झोपड़ा पशुधन चारा इधन रखा हुआ है। तथा न ही मोके पर कोई रास्ता है जो बंटवाड़ा के वक्त से है। जबकि प्रार्थी अपने खेत के उतरी तरफ चल रहे सड़क मार्ग 336/77 की उतरी सींव से आवागमन करता आ रहा है जो ही लघुतम एवं निकटतम है। अतः मानजी से निवेदन है प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा के खारिज फरमाया जावें।

अतः हस्तगत प्रकरण रा.का.अ. की धारा 251 अ में उल्लेखित रास्ता दिया जाने को दोनो न्दुओं को देखा जाना आवश्यक है की :-

1. आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा :-

जरिये प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस प्रार्थी ने दावा किया की उसकी कृषिगत आवश्यकताओं मध्य नजर रखते हुए उसे चाहे गये रास्ते ए से बी की आंत्यतिक आवश्यकता है। मगर प्रार्थी के स अपने खेत में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अन्य खातेदार की खातेदारी से रास्ते की मांग करना विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि उक्त प्रावधान आत्यंतिक आवश्यकता के ए बना है न की खातेदारी की सुविधा के लिए। खातेदार को अपने खेत में जाने के लिए कोई कल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो धारा 251 अ सुविधाजनक रास्ते की कायम का प्रावधान नहीं करती ।

2. अन्य वैकल्पिक साधनो का अभाव :-

प्रार्थी ने जरिये प्रा.पत्र एव विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अपने ताय तक पहुँचनें के लिये उसके पास अन्य वैकल्पिक साधनों का अभाव है। मगर तहसीलदार ींवसर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट ताईद होता है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता ख.न. 336/77 से चलता है जिसका रकबा भी चाहा गये रास्ते से कम रकबा प्रभावित होता है जो मौका रिपोटों साबित होता है ।

पत्रावली पर मौजुंद रेकर्ड, एवं अप्रार्थी संख्या 03 से प्राप्त जाचं रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता र्थी एवं अप्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ एलआरएक्ट को कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट से यह ताईद होता है की र्थी द्वारा चाहा गया का रकबा 47 गटा प्रभावित होता है जबकि वैकल्पिक रास्ता ख.न. 336/77 से रास्ता आज ही चालू है जिसका रकबा 41 गटा प्रभावित होता है ।

जबकि प्रार्थी के पास अपने खेत में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अन्य तेदार की खातेदारी में से रास्ते की मांग करना विधिसम्मत नहीं है। खातेदार को अपने खेत में ने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो धारा 251 अ सुविधाजनक रास्ते की कायम का वधान नहीं करती है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए ख.न. 79/357 के स्थान पर ख.न. 6/77 में से रास्ते की मांग करनी चाहिये थी। इस प्रकार प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता होने से त प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र, पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट एवं बहस आधार पर प्रार्थी उपरोक्त दोनों बिन्दू को साबित करने में असफल रहने पर प्रार्थी का प्रा.पत्र, र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) आर. टी. एक्ट को खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना ना खर्चा वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 21.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर